राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या -752/2017/भीलवाड़ा

2. अपील संख्या -753/2017/भीलवाड़ा

3. अपील संख्या -754/2017/भीलवाड़ा

4. अपील संख्या -755/2017/भीलवाड़ा

अपील संख्या –756/2017/भीलवाड़ा

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—अ, भीलवाड़ा

....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स काल्या कन्स्ट्रक्शन, भीलवाड़ा

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ श्री राजीव चौधरी, सदस्य श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा, उप-राजकीय अभिभाषक श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक

..... राजस्व की ओर से

......व्यवहारी की ओर से

दिनांक : 14/05/2018

निर्णय

- 1. उपरोक्त पांचों अपीलें राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 01, 02, 03, 04 व 05/सीएसटी/16—17/भीलवाड़ा में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.10.2016 के विरूद्ध केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 10ए के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त—अ, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2010—11 से 2014—15 की अवधि के लिये प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 10ए के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।
- 2. इन सभी पांचों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
- 3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :--

क्र० सं०	अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	शास्ति (रू.)
1.	752 / 17 / भीलवाड़ा	2010-11	54,24,494
2.	753 / 17 / भीलवाड़ा	2011-12	22,62,298
3.	754 / 17 / भीलवाड़ा	2012-13	40,99,937
4.	755 / 17 / भीलवाड़ा	2013-14	32,04,055
5.	756 / 17 / भीलवाड़ा	2014-15	14,32,147

3

Junium M

निरन्तर.....2

- 4. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि एसीटीओ, एई तृतीय, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 15.04.2015 को प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया तथा जांच में पाया कि प्रत्यर्थी को विभिन्न अवार्डर्स यथा मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हैदराबाद, लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड चैन्नई व अन्य फर्मी से वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट, एक्सकेवेशन अर्थवर्क, नर्मदा प्रोजेक्ट में कार्यादेश प्राप्त हुए हैं। जिसके लिये प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से जे.सी.बी. मशीन, कम्प्रेशर, डम्पर, टायर एण्ड ट्यूब, बिट हैमर, चैलन प्लेट, ऑयल-ल्यूब्रिकेन्ट इत्यादि माल "सी" फॉर्म के समर्थन में अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में "सी" फॉर्म के समर्थन से रियायती दर पर खरीद किये जाकर कार्य संविदा में प्रयोग किया गया। जांच अधिकारी ने पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र ''सी' के समर्थन में क्रय किये गये उक्त माल का प्रयोग "माइनिंग" में किए जाने की घोषणा कर माल खरीदा गया है। जांच के बाद जांच अधिकारी ने यह पाया कि प्रत्यर्थी की राज्य में न तो कोई माइनिंग लीज है, न कम्पनी द्वारा वास्तव में किसी खनिज की माइनिंग की गई है और न ही खरीदे गये माल का माइनिंग में प्रयोग किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र "सी" में माल का प्रयोग माईनिंग कार्य में करने की घोषणा की गई जबकि माल का प्रयोग माईनिंग कार्य में नहीं किया जाकर एक्सकेवेशन अर्थवर्क, नर्मदा प्रोजेक्ट में उपयोग एवं कन्जम्पशन के रूप में किया गया। अतः खरीदे गए माल का प्रयोग अधिनियम की धारा 8(3)(b) व नियम 13 (रजिस्ट्रेशन व टर्नओवर) नियम, 1957 के अनुसार नहीं किया जाना पाया गया। प्रकरण नियमानुसार कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित होने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 10ए के तहत उपरोक्त तालिकानुसार शास्ति का आरोपण किया। उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गईं जिन्हें अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर विभाग द्वारा ये अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।
- 5. अपीलार्थी विभाग की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि प्रत्यर्थी ने घोषणा पत्र 'सी'' के समर्थन में क्रीत सामान मशीनरी व अन्य आइटम्स का उपयोग अवार्डर से प्राप्त कार्यादेशों के अन्तर्गत तो किया है परन्तु वे कार्य किसी भी प्रकार से माइनिंग कार्य से संबंधित नहीं हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने यह अवधारित किया कि प्रत्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र ''सी'' के समर्थन में रियायती दर पर जेसीबी मशीन, कम्प्रेशर, डम्पर,

31

Jun-untun!

टायर एंड ट्यूब, बिट हैमर, ऑयल-ल्युब्रीकेन्ट इत्यादि क्रय कर इनका उपयोग किसी भी प्रकार से माइनिंग में नहीं किया है। इस प्रकार "सी" फॉर्म के समर्थन से राज्य बाहर से की गई खरीद अधिनियम की धारा 8(3) (b) (c) (d) में वर्णित उद्देश्यों से भिन्न उदेश्यों से माल का उपयोग किया गया है अर्थात प्रत्यर्थी "सी" फॉर्म पर रियायती दर से खरीद किये गये कार्य का प्रयोग अधिनियम की धारा 8(3) के अनुमत उद्देश्यों के अनुसार न तो पुनः विक्रय हेतु किया गया है, न ही निर्माण में प्रसंस्करण हेतु किया गया है, न ही इसका उपयोग टेलिकम्युनिकेशन विद्युत उत्पादन एवं वितरण कार्य में किया गया है, न ही किसी माईनिंग अथवा प्रोसेसिंग कार्य हेतु किया गया है, अपितु प्रत्यर्थी द्वारा खरीदे गये माल का उपयोग ठेकेदारी कार्यों में किया गया है तथा खरीद की गई उपरोक्त सभी वस्तुऐं प्रत्यर्थी के पंजीयन प्रमाण पत्र में भी दर्ज नहीं हैं। उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा न तो माइनिंग कार्य नहीं किया गया है तथा न ही कोई निर्माण से संबंधित जॉब वर्क किया गया है, अतः वह घोषणा पत्र "सी" फॉर्म के समर्थन से रियायती दर पर माल खरीदने का हकदार नहीं है। उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकारते हुए कर निर्धारण आदेशों में आरोपित शास्ति राशियों को बहाल करते हुए इस संबंध में अपीलीय आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

7. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 के समस्त कर निर्धारण आदेश पूर्व में पारित किये जा चुके थे एवं उन वर्षों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषण पत्र "सी" का उपयोग विधिसम्मत माना जा चुका था एवं राय परिवर्तन के आधार पर प्रतिकरापवंचन वृत द्वारा केवल शास्ति का आरोपण किये जाने की कार्यवाही की गई है, जो अविधिक है तथा मात्र शास्ति के आरोपण के लिये पूर्व में सम्पूरित कर निर्धारण आदेशों को पुनः नहीं खोला जा सकता है। उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा किये जाने वाले वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट कार्यों के लिये विभिन्न प्रकार की मशीनरी व अन्य सामग्री अनिवार्य थी, अतः "सी" फॉर्म के समर्थन से जो मशीनरी, इक्यूपमेंन्ट्स व अन्य कन्ज्यूमेबल्स खरीदे गये हैं, उस हेतु प्रत्यर्थी अधिनियम / नियमों के अंतर्गत पूर्णतः अधिकृत है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा बी.के. इंजीनियर्स कॉरपोरेशन बनाम स्टेट ऑफ बिहार (1992) 87 एसटीसी 509 के प्रकरण में दिये गये निर्णय तथा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा मैसर्स खालसा मेटल्स प्रा०लि० बनाम एसीटीओ (2002) टैक्स अपडेट 69; सीटीओ बनाम ग्रेस मार्बल्स (2011) 29 टैक्स अपडेट 1; एसीटीओ बनाम चंबल फर्टीलाइजर्स (2014) 38 टैक्स अपडेट 313 आदि उद्धरित करते हुए आरोपित शास्ति को अविधिक बताया एवं प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

3

aminim!

निरन्तर.....4

- 8. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा साथ ही प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी एक पंजीकृत व्यवहारी है एवं उसके पंजीयन प्रमाण पत्र में वर्क कॉन्ट्रेक्टर की श्रेणी का अंकन किया गया है तथा वर्क कॉन्ट्रेक्ट के लिये for resale and processing के लिय कन्स्ट्रक्शन आर्टिकल के अलावा अन्य कई तरह की वस्तुओं का इन्द्राज किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा रोड़ निर्माण ठेका एवं नर्मदा नहर निर्माण हेतु excavation earth work का ठेका भी लिया गया है तथा इस कार्य के लिये विभिन्न मशीनरी एवं टायर—ट्यूब तथा लुब्रीकेन्ट आदि की खरीद की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Builder Association of India Vs Union of India (1989) 73 STC 370 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ठेकेदार भी एक डीलर है एवं उनके द्वारा ठेके के निष्पादन में किया गया माल का हस्तान्तरण विक्रय माना जायेगा तथा ऐसे डीलर को राज्य एवं केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्रदत्त होंगे।
- 9. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वा.क.अ. सिरोही बनाम अग्रवाल जे वी, सिरोही (35 टैक्स अपडेट 139) के प्रकरण में दिये गये निर्णय में ठेकेदार द्वारा राजमार्ग के निर्माण हेतु ''सी'' फॉर्म्स के समर्थन से खरीद किये गये डीजल, एलडीओ, फर्नेस ऑयल आदि माल 'प्रसंस्करण' (Processing) में प्रयोग किया जाना मानते हुए कर बोर्ड के निर्णय की पुष्टि की गई है। उक्त सन्दर्भित निर्णय के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :--

"I have perused the judgment reported in 45 STC 210, 30 STC. In my opinion the learned Tax Board has rightly decided this matter while following aforesaid judgments because in this case for construction of national highways, diesel. LDO, Furnace Oil and other material was purchased, therefore, obviously the goods was purchased for use of constructing the national highway; and, for that purpose, the processing, the said material was used."

10. इस संबंध में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा M/s Joyrath Projects Pvt. Ltd.& vs Sales Tax Officer निर्णय दिनांक 25 April, 2014 में भी यह अभिनिर्णीत किया गया है कि वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट के निष्पादन में काम में ली जाने वाली मशीनरी "सी" फॉर्म के समर्थन से रियायती कर दर पर खरीदी जा सकती है। उक्त निर्णय के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं:-

3

निरन्तर.....5

"In the present case, the said machineries are purchased for execution of the "works contract" and is an integral part thereof. The certificate of registration issued to the petitioner under the Central Sales Tax (Registration & Turnover) Rules 1957 depicts the nature of business as "works contract" which was subsequently amended by incorporating certain machines in the year 2002. The petitioner is treated as a dealer of the machine as well by allowing the amendments by incorporating the machines. Those machines are intended to be used for execution of the "works contract" and this Court, therefore, does not intend to take a contrary view as has been taken by a single bench of the Kerala High Court in case of Dlf Laing O'Rourke (India) ltd (supra)."

11. इसी प्रकार माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा Sadbhav Engineering Ltd.

Vs. State of U.P. (2014)76 VST 62(All) के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 25.08.2014 में भी वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर द्वारा अपने कार्य निष्पादन में प्रयोग की जाने वाली मशीनरी की "सी" फॉर्म के समर्थन से खरीद करने को उचित माना गया है तथा धारा 10ए के अंतर्गत शास्ति को अविधिसम्मत मानते हुए अपास्त किया गया है। उक्त निर्णय के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :--

"The petitioner started executing the works contract and, for the purpose of removing the over burden, required machineries for the execution of the works contract. Since the petitioner was eligible to purchase the same from outside the State of U.P. at concessional rate of tax, the petitioner applied for issuance of Form-C from the office of respondent No. 3."

"....From a perusal of Section 8(3)(b) of the Act, as extracted above, clearly indicates that the goods have been purchased for the purpose of mining. The petitioner has been given a works contract for removal of the over burden, which means the removal of the surface material covering the valuable deposit of coal, which is nothing but a form of mining as is clear from the works contract.

16. The petitioner was granted a registration for the purpose of execution of the works contract or removal of the over burden while issuing the certificate of registration in Form-B. The respondent No. 3 granted the facility to the petitioner to purchase at concessional rate of tax against Form-C on the

3

Juliu)

निरन्तर......6

goods, namely, heavy earth movers, excavators, dumpers, etc. The petitioner purchased these equipments on the basis of Form-C issued by respondent No. 3 for the purpose of execution of the works contract. We find from a perusal of the counter-affidavit that nothing has been indicated that the equipment so purchased was not in consonance with the declaration given in Form-B nor it has been disclosed that the equipments so purchased are not being used by the petitioner. In the light of the aforesaid, we find that the imposition of penalty was wholly illegal and without any basis. The reasoning mentioned in the impugned order is in gross violation of the provisions of Section 10A of the Act. Consequently, the impugned orders imposing penalty cannot be sustained and are quashed."

- 12. प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी जो कि एक Works Contractor है तथा उसके द्वारा सड़क निर्माण संबंधी कार्य के साथ—साथ नर्मदा प्रोजेक्ट में अर्थ वर्क, एक्सकेवेशन आदि का कार्य किया गया है तथा उसके लिये ही विभिन्न वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय क्रय किया है एवं वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट के लिये आवश्यक वस्तुओं का इन्द्राज पंजीयन प्रमाण पत्र में हैं। उक्त संविदा कार्यों में प्रयुक्त की गई सामग्री या इक्युपमेन्ट्स को processing कार्य के अंतर्गत माना जायेगा तथा जो स्पष्ट रूप से धारा 8(3) के तहत आच्छादित है। ऊपर उल्लेखित माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में प्रत्यर्थी प्रश्नगत माल अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में रियायती दर से खरीदने हेतु अधिकृत है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 10ए के अंतर्गत आरोपित की गई शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई हैं। फलतः अपीलीय आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पृष्टि की जाती है।
- 13. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।

14. ०५.२०१८ (ओमकार सिंह आशिया) सदस्य (राजीव चौधरी)